झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
(आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार)
आपराधिक अपील (एकल न्यायधीश) संख्या 3/2005
(सजा के आदेश और दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ, दोनों दिनांक 04.12.2024 को, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1, बर्मो, टेनुघाट द्वारा पारित, अधिवेशन विचार मामले संख्या 200/1989)

देवाशीष पॉल

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य

... प्रत्यर्थी

कोरम : माननीय न्यायधीश श्री दीपक रौशन

याचिकाकर्ता के लिएः श्री आर.एस. मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता
राज्य के लिए: श्री तरुण कुमार, अतिरिक्त लोक अभियोजक

16 दिनांक **12.01.2024:** पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता को सुना

2. त्वरित अपील दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, दोनों दिनांक 04.12.2004, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1, बरमो, तेनुघाट द्वारा 1989 के सत्र परीक्षण मामले संख्या 200 में पारित किए गए; जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बी) के तहत 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि कृष्ण नारायण साहा नामक व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष 20.12.1988 पर अपना बयान दिया कि उसकी बहन समनविता पॉल की शादी 30.01.1983 को कोलकाता में देवाशीष पॉल (अपीलार्थी) के साथ हुई थी, जो बोकारो थर्मल में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। यह भी कहा जाता है कि वह अक्सर कोलकाता जाती थी लेकिन कभी खुश नहीं दिखाई देती थी। यह और कहा गया है कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर अपने मातापिता से महंगे उपहार या वस्तु लाने के लिए दबाव डाला और इस तरह - के दबाव के परिणामस्वरूप उसके पिता को20,000/- रुपये मूल्य के एनखरीदने के .सी.एस. लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में, देवशीष पॉल ने कोलकाता में एक प्लॉट जमीन देने के लिए अपने पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया और इसी के लिए अपनी बहन का दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, यह कहा गया है कि आरोपी 12.07.1988 को कोलकाता गया था और मांग की थी कि जमीन का प्लॉट हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। यह प्लॉट जमीन सूचनाकर्ता के पिता द्वारा अपनी दो बेटियों के नाम पर खरीदी गई थी।

अभियोजन पक्ष का अगला मामला यह है कि 22.07.1988 पर, मुखबिर को बोकारो थर्मल में अपनी बहन की मृत्यु के बारे में दुर्गापुर में एक संदेश मिला। बोकारो थर्मल में पूछताछ करने पर आरोपी ने उसे बताया कि उसकी बहन ने चूहे के जहर का सेवन किया और आत्महत्या कर ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है।

बोकारो थर्मल में देवाशीष पॉल ने जोर देकर कहा कि उसके पिता को घटना के संबंध में आरोपी द्वारा दिए गए पहले के बयान का समर्थन करते हुए पुलिस को बयान देना चाहिए। मुखबिर ने आगे कहा है कि आरोपी ने उससे कहा और उसके परिवार के सदस्यों को भी ऐसा ही बयान देना चाहिए। जबरदस्त दबाव में होने के कारण, सूचना देने वाले ने निहितार्थ को नहीं समझा और पुलिस को बयान दिया कि पति और पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।बाद में, शव को कोलकाता ले जाया गया। हालाँकि, जब मुखबिर ने शव को देखा, तो उसे उस पर कई घाव मिले। शव को देखने के बाद, मुखबिर को भी विश्वास हो गया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। जल्द ही, पुलिस को जानकारी दी गई और फिर से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए प्रार्थना की गई।पुनः शव परीक्षण रिपोर्ट की गई और उसकी शरीर पर कई पूर्वमृत्यु - चोटें पाई गईं। इसके बाद, सूचनाकर्ता संतुष्ट हो गया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और आरोपी ने एक अलग कहानी बनाने की कोशिश की है।

इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत बोकारो थर्मल थाना थाना में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ 20.12.1988 को मामला दर्ज किया गया था।

4. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निम्नलिखित आधारों पर विवादित निर्णय की आलोचना करते हैं:-

(i) विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रासंगिक मामलों में अपने निष्कर्षों को पूरी तरह से बाह्य और अप्रासंगिक मामलों पर आधारित कर पर विचार करने में विफलता दिखाई, जो विवादित निर्णय और सजा के आदेश को पारित करने के उद्देश्य के लिए उचित नहीं थे।

(ii) विवादित निर्णय और सजा का आदेश कानून और तथ्यों के दृष्टिकोण से गलत है और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के महत्व के विरूद्ध है।

(iii) विद्वत विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की उचित आंकलन करने में विफलता दिखाई है और इसलिए, गलत निष्कर्ष पर पहुंची है।

(iv) विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और सजा का आदेश पूरी तरह से अनुमान और अटकलों पर पारित किया।

(v) विद्वत विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रही कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेहास्पद है।

(vi) विद्वत विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि पहली सूचना दर्ज करने में देरी को उचित रूप से समझाया नहीं गया है।

(vii) विद्वत विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रही कि दोबारा पोस्टमॉर्टम लंबे अंतराल के बाद किया गया है।

(viii) विद्वत विचारण न्यायालय इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहा कि बचाव पक्ष के गवाहों को जो उचित महत्व दिया जाना चाहिए था, वह गायब है, जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है क्योंकि इसे कमजोर आधारों पर या बल्कि कथित रूप से उचित संदेह से परे साबित होने वाले पहलू के कानूनी निष्कर्षों को देखते हुए एक अनुमान पर खारिज कर दिया गया है।

(ix) विद्वत विचारण न्यायालय ने पी.डब्लू 17 यानी, डी.वी.सी अस्पताल के डॉक्टर की सत्यनिष्ठा के संबंध में संदेह उठाकर एक त्रुटि की है और इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्लू 17 को शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है और इसके अलावा आरोपन की ओर से पी.डब्लू 17 को दुश्मन घोषित करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(x) जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा ने अपीलकर्ता के मामले को नुकसान पहुँचाया है क्योंकि अभियोजन गवाहों द्वारा दिए गए बयान की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी, विशेष रूप से पी.डब्ल्यू. 10 और 12 के बयानों की, जिन्होंने पुलिस के सामने अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंधों के बारे में बताया था। और उक्त दो गवाहों ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे।

xi) विद्वत विचारण न्यायालय पी. डब्ल्यू. 6 (मृतक की बहन) की इस स्वीकारोक्ति पर भी विचार करने में विफल रहा है कि उसके पिता ने उसके और उसकी बहन (मृतक) के लिए भूमि खरीदी है जिसकी पुष्टि पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा भी की गई है।

(xii) यह आरोप दहेज हत्या के अपराध का गठन नहीं करता है जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है और चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बीके तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व अनुपस्थित है (, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अनुमान लगाने की प्रक्रिया उचित और अनुमेय नहीं है।

अंत में,, इस अपीलार्थी को पी.डब्ल्यू. 9 (घटना के समय लगभग ढाई साल की नाबालिग बेटी) के आधार पर दोषी ठहराना और जिसका बयान लॉग अंतराल के बाद दर्ज किया गया था जब वह न्यायालय के समक्ष 16 साल की थी।

5. विद्वान एपीपी ने बरी करने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। और जो बेटी 16 वर्ष की आयु में घटना के तरीके के बारे में गवाही दी है, जबकि वह घटना के समय 2½ वर्ष की थी, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एकमात्र प्रत्यक्ष गवाह थी और इसके अलावा पी.डब्ल्यू. 9 का बयान भी धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत है।

6. पक्षों के लिए अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड की जांच की गई। इस अपील की बहस करते समय, अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधार उठाए हैं:-

> *"1. एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने की देरी है क्योंकि घटना 22.07.1988 को हुई और एफआईआर 20.12.1988 को दर्ज की गई।*
>
> *2. विद्वान विचारण न्यायालय ने दूसरी शव परीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है, जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है, और पूरी तरह से पीडब्ल्यू..2 द्वारा किए गए पहले शव परीक्षण रिपोर्ट में किए गए निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें मृतक के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई।*
>
> *3. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले हिंसा का सामना करना पड़ा।"*
>
> *"4. विद्वान विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यू-9 की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर किया है, जो मृतक की बेटी हैं और उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि घटना के समय वह केवल दो साल और छह महीने की थी और कोई भी व्यक्ति 14 वर्षों के अंतराल के बाद कुछ भी नहीं याद रखेगा।"*

7. यह स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में, एसडीजेएम अलीपुर के आदेश से स्पष्ट होता है कि मृतक के पिता द्वारा विशिष्ट शिकायत की गई थी, जिसका उल्लेख जीडी प्रविष्टि 24.7.88 में है, और 24.7.1988 की पत्र में किया गया जो पीड़िता को मारने की आशंका को दर्शाता है। इस आदेश से स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट है कि गरियाहाट थाने में शिकायत की

गई थी, जिसे पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलीभगत करके दबा दिया था।

सूचना देने वाले ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें बिहार पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए सलाह दी गई थी और कोलकाता पुलिस का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि घटना स्थल बिहार था, इसलिए उन्होंने बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पंजीकृत पत्र भेजा। इस तथ्य का समर्थन इस बात से मिलता है कि एस.पी., गिरिडीह ने डी.पी.एस., बर्मो को 10 दिनों के भीतर एक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

8. इसके अतिरिक्त, दूसरी शव परीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता के संबंध में, इस मामले में यह देखा गया है कि दो शव परीक्षण किए गए हैं, लेकिन दोनों शव परीक्षण का परिणाम लगभग एक ही है, जिसमें मृत्यु का कारण संदिग्ध विषाक्तता पाया गया। कोलकाता के डॉक्टर ने भी शरीर पर हिंसा के निशान पाए और उन्होंने राय दी कि चोट संख्या 6 और 7 कठोर और कुंद वस्तु जैसे लाठी से लगी थी। यह स्थापित कानून है कि जब दो चिकित्सा साक्ष्यों के बीच संघर्ष होता है, तो उस रिपोर्ट पर भरोसा करना सुरक्षित होता है जो दृश्य साक्ष्यों के साथ मेल खाती है। इस मामले में पी .डब्ल्यू.6, 7, 9, 10 और 12 ने दूसरी शव परीक्षण रिपोर्ट का पूरी तरह से समर्थन किया है।

9. इस मामले में शामिल अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी है, जिसे यहां प्रस्तुत किया गया है:-

> *“304-बी दहेज .हत्या)—.1) जब किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है और यह प्रदर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तो ऐसी मृत्यु को 'दहेज हत्या' कहा जाएगा, और ऐसा पति या रिश्तेदार उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।*
>
> *व्याख्या धारा के प्रयोजनों के लिए-इस उप—, "दहेजका वही अर्थ होगा जो " दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (28/1961) की धारा 2 में दिया गया है।*
>
> *(2) जो कोई भी दहेज हत्या करता है, उसे सात साल से कम की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है।*

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत, धारा 113-बी का एक अनुमान है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी से संबंधित है। संक्षेप में, इसे यहां भी उद्धृत किया गया है।

> *“113-बी—.दहेज हत्या के संबंध में अनुमान .जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने एक महिला की दहेज हत्या की है और यह प्रदर्शित किया गया है कि उसकी मृत्यु से पहले उस महिला को उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तो न्यायालय यह मान लेगी कि उस व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना। व्याख्या—.इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “दहेज हत्या ”का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी में दिया गया है)45/1860)।”*

इसके अलावा, विभिन्न निर्णयों को पारित करके, माननिय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत अपराध का गठन करने के सिद्धांत को सारांशित किया है। कांस राज बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो **(2000) 5** एससीसी **207** में दर्ज है, माननिय सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज हत्या को साबित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को स्पष्ट किया है।

> *"(कमृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या किसी महिला की (सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई हो;*
> *(ख ऐसी मृत्यु उसके विवाह के (7 वर्षों के भीतर हुई हो।"*

> *"(गमृतक को उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या (उत्पीड़न का सामना करना पड़ा;*
> *(घउत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना ऐसी क्रूरता या (चाहिए; और"*

> *"(ङ) मृतक को ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न का सामना उसकी मृत्यु से ठीक पहले करना पड़ा हो।"*

इसके अलावा, बंसी लाल बनाम हरियाणा राज्य,) **2011) 11** एससीसी **359** में दर्ज मामले में, माननिय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"19. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि विधायिका ने अपनी समझदारी से 'shall' शब्द का उपयोग किया है, जिससे न्यायालय पर यह अनिवार्य है कि वह यह मान ले कि मृत्यु उस व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसने उसे दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना कराया। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के प्रावधानों के विपरीत है, जहां न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का अनुमान लगा सकती है। इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर, आरोपियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे अनुमान को खंडित करें और धारा 113-बी जो धारा 304-बी आईपीसी से संबंधित है, में साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से और भारी रूप से आरोपी पर होती है। केवल आवश्यकताएं हैं कि किसी महिला की मृत्यु प्राकृतिक परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो; कि मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई हो; और ऐसी महिला को उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।"*

> *"20. इसलिए, यदि अभियोजन द्वारा ऐसी मृत्यु के आवश्यक तत्व स्थापित किए गए हैं, तो न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह यह अनुमान लगाए कि आरोपी ने दहेज हत्या का कारण बनाया है"............*

यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों और फैसलों को पढ़ने से, जब किसी विवाहित महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों के कारण या उसके विवाह के सात वर्षों की अवधि के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य तरह से होती है और महिला को उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा

क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और ऐसी उसके पति की क्रूरता दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होनी चाहिए और ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न, मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले सहना पड़ा हो, तो इसे दहेज हत्या कहा जाएगा और महिला के पति या उसके रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी मृत्यु को घातक, आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।

10. इसके अलावा, आई.पी.सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में दो चीजों को देखा जाना चाहिए; पहला, यह सुनिश्चित करना कि क्या धारा के तत्व आरोपी के खिलाफ बनाए गए हैं और यदि निष्कर्ष सकारात्मक हैं, तो दूसरा, यह पता लगाना कि आरोपी को महिला की मृत्यु का कारण माना जाता है।

इसके अलावा, जब कोई विवाहित महिला अपनी मृत्यु से तुरंत पहले अपने पति या पति के रिश्तेदार द्वारा किसी भी दहेज की मांग के संबंध में किए गए उत्पीड़न या क्रूरता के कारण आत्महत्या या हत्या से अप्राकृतिक मृत्यु से मर जाती है, तो धारा 113-बी का अनुमान लागू होता है और ऐसी परिस्थिति में, न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मृत्यु का कारण बना था।

11. अभिलेख के अवलोकन पर, यह निर्विवाद है कि मृतक का विवाह अपीलार्थी के साथ संपन्न किया गया था और शादी के सात वर्षों के भीतर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। चूंकि, मृतक ने सामान्य परिस्थितियों के अलावा शादी के सात साल के भीतर जहर के कारण दम तोड़ दिया, इसलिए यह स्पष्ट करता है कि धारा 304-बी के पहले दो तत्व संतुष्ट हैं।

जहां तक दहेज की मांग का संबंध है, यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलकर्ता ने 20,000/- रुपये मूल्य का एनएससी स्वीकार किया और प्रमुख गवाह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आरोपी द्वारा दबाव डालने के कारण पी .डब्ल्यू.12 को एनएससी छोड़ना पड़ा और उसे अपीलकर्ता को देने के लिए मजबूर किया गया। पी .डब्ल्यू.7 और पी .डब्ल्यू.10 के बयान से स्पष्ट है कि आरोपी 12.07.1988 को कोलकाता गया था और कोलकाता में भूखंड के हस्तांतरण की मांग की थी।

12. "विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की मृत्यु से ठीक पहले कोई दहेज की मांग की गई थी। इस संदर्भ में, कांस राज (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304-बी में प्रयुक्त 'ठीक पहले' वाक्यांश का अर्थ परिभाषित किया है, संबंधित पैराग्राफ इस प्रकार उद्धृत किया गया है।"

> *"15. उत्तरदाता की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि मृतक के द्वारा संदर्भित बयानों को उसकी मृत्यु से ठीक पहले पति द्वारा की गई क्रूरता या उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। 'ठीक पहले' एक सापेक्षिक शब्द है जिसे प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के तहत विचार करने की आवश्यकता है और कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करके कोई कठोर सूत्र नहीं बनाया जा सकता। यह अभिव्यक्ति निकटता परीक्षण के विचार से भरी हुई है। 'ठीक पहले' शब्द 'तुरंत पहले' के समानार्थक नहीं है और यह 'तुरंत बाद' के विपरीत है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, उदाहरण (क) में उपयोग किया गया है और समझा गया है। ये शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि बयान देने के समय और मृत्यु के बीच का अंतराल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। यह एक उचित समय की कल्पना करता है जिसे, जैसा कि पहले देखा गया है, प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के तहत समझा और निर्धारित किया जाना चाहिए।" दहेज हत्याओं के संबंध में, मृतक के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के अस्तित्व को दर्शाने वाले परिस्थितियां किसी विशिष्ट घटना तक सीमित*

नहीं हैं, बल्कि आमतौर पर एक आचरण के क्रम का संदर्भ देती हैं। ऐसा आचरण समय की एक अवधि में फैला हो सकता है। यदि दहेज की मांग या क्रूरता या उत्पीड़न दिखाया जाता है कि वह जारी रहा है, तो इसे "मृत्यु से ठीक पहले" माना जाएगा, यदि ऐसे दावे के उपचार और मृत्यु की तारीख से पहले, ऐसे उपचार के अस्तित्व को दर्शाने वाली कोई अन्य अंतरवर्ती परिस्थिति रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा समय किसी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अभियोजन को दहेज मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और परिणामस्वरूप मृत्यु के बीच के निकट और जीवित लिंक को साबित करना आवश्यक है। दहेज की मांग, ऐसी मांग पर आधारित क्रूरता या उत्पीड़न और मृत्यु की तारीख समय में बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, जिसे परिस्थितियों के तहत पर्याप्त रूप से पुराना माना जा सके।"

इसलिए, अब यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 304-बी आईपीसी में 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' वाक्यांश का अर्थ 'मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले' नहीं है। हालांकि, अभियोजन को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न और दहेज हत्या के बीच के के अस्तित्व को स्थापित करन "निकट और जीवित लिंक"ा होगा।

इस मामले में, यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी 12.07.1988 को कोलकाता गया और कोलकाता में भूखंड के हस्तांतरण की मांग की और जब मांग पूरी नहीं हुई, तो घटना 22.07.1988 को हुई। निकटता के परीक्षण को लागू करते हुए, यह आसानी से देखा जा सकता है कि मांग की घटना हुई थी। "मृत्यु से ठीक पहले"

इसलिए, उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्यों को देखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि माननीय निचली न्यायालय ने सही पाया कि अपीलकर्ताआरोपी मृतक के पिता / से दहेज की मांग कर रहा था।

13. अब, इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए केवल एक ही मुद्दा उठता है कि क्या माननीय निचली न्यायालय ने यह अनुमान लगाने में सही किया कि अपीलकर्ताआरोपी ने / मृतक की दहेज हत्या की। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि मृतक की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर अन्य सामान्य परिस्थितियों के तहत शारीरिक चोटों के कारण हुई। यह भी साबित हुआ है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले, उसे अपीलकर्ता द्वारा दहेज की मांग के अनुसार उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा।"

चूंकि आईपीसी की धारा 304-बी के तत्व संतुष्ट हैं, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान अपीलकर्ता के खिलाफ लागू होता है, जिसे आईपीसी की धारा 304-बी के तहत निर्दिष्ट अपराध का कारण माना जाता है। इसलिए, उपरोक्त अनुमान को खंडित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर स्थानांतरित होती है।

14. अपीलकर्ता के लिए माननीय वरिष्ठ वकील ने पी.डब्ल्यू. 9 की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया, जो कि एक बाल गवाह है। इस संबंध में, कानून बहुत स्पष्ट है कि यदि एक बाल गवाह तथ्यों के संबंध में गवाही देने के लिए सक्षम और विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसा साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी, बाल गवाह का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत माना जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम हो और उनके तार्किक उत्तर देने में सक्षम हो।एक बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। एकमात्र सावधानी जो न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसकी व्यवहार शैली किसी अन्य

सक्षम गवाह के समान होनी चाहिए, और यह संभावना नहीं होनी चाहिए कि उसे किसी अन्य द्वारा सिखाया गया हो।

बाल गवाह के साक्ष्य के संबंध में कानूनी स्थिति माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत तथा विदेशों के विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों में चर्चा का विषय रही है। इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा।

सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य, **(2001) 9** एस. सी. सी. **129** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाल गवाह के साक्ष्य को स्वयं खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय को विवेक के नियम के रूप में, ऐसे साक्ष्य पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है और केवल बयानों की गुणवत्ता और इसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर, बाल गवाह के बयान को स्वीकार करके दोषसिद्धि का आधार होना चाहिए।यह तथ्य कि गवाह एक बाल गवाह होने के नाते न्यायालय को सावधानी और ध्यानपूर्वक उसके साक्ष्य की जांच करने की आवश्यकता होगी। यदि यह दिखाया जाता है कि वह जिरह की कसौटी पर खरी उतरी है और उसके साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं है, तो अभियोजन पक्ष केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का दावा कर सकता है। बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है।बाल गवाह के बयान में कुछ विसंगतियों को गवाही को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। बयान में विसंगतियां, यदि महत्वपूर्ण विवरणों में नहीं हैं, तो एक बाल गवाह की गवाही को विश्वास दिलाएगी, जो सामान्य परिस्थितियों में, गवाह ने जो देखा है उसे उसके द्वारा देखे जाने की कल्पना के साथ जोड़ना चाहेगा। बाल गवाह के साक्ष्य की सराहना करते हुए, अदालतों को बच्चे को पढ़ाए जाने की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता होती है।कोई भी आरोप न होने की स्थिति में कि बच्चे के गवाह को कुछ पढ़ाया या सिखाया गया है या अभियोजन के अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, अदालतों के पास ऐसे गवाह की आत्मविश्वास प्रेरित गवाही पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके या नहीं। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"5. निस्संदेह, भव्या (पीडब्लू 2), जो घटना के समय लगभग चार वर्ष की थी, एकमात्र गवाह है जिसे सही तरीके से शपथ नहीं दी गई। घटना का समय और स्थान और मामले की उपस्थित परिस्थितियों से पता चलता है कि चश्मदीद गवाह के रूप में कोई अन्य व्यक्ति होने की कोई संभावना नहीं है।बाल गवाह के साक्ष्य को स्वयं अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय को विवेक के नियम के रूप में, ऐसे साक्ष्य पर गहन जांच के साथ विचार करने की आवश्यकता है और केवल बयानों की गुणवत्ता और इसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर, बाल गवाह के बयान को स्वीकार करके आधार दोषसिद्धि की आवश्यकता है। पीडब्लू 2 के साक्ष्य को केवल उसकी कम उम्र होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।चाहिए।यह तथ्य कि गवाह एक बाल गवाह होने के नाते न्यायालय को सावधानी और ध्यानपूर्वक उसके साक्ष्य की जांच करने की आवश्यकता होगी। यदि यह दिखाया जाता है कि वह जिरह की कसौटी पर खरी उतरी है और उसके साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं है, तो अभियोजन पक्ष केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का दावा कर सकता। बाल गवाह की गवाही का समर्थन करना कोई नियम नहीं है, बल्कि यह सावधानी और विवेक का एक उपाय है। बच्चे के गवाह के बयान में कुछ विसंगतियों को गवाही को अस्वीकार करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि गवाही में विसंगतियाँ महत्वपूर्ण विवरणों में नहीं हैं, तो वे एक बाल गवाह की गवाही को विश्वसनीयता प्रदान कर सकती हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उस चीज़*

को मिलाने की कोशिश करेगा जो उसने देखी है और जो वह सोचता है कि उसने देखी है। बाल गवाह की गवाही की सराहना करते समय, अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाया या सिखाया नहीं गया है। पढ़ाने सीखाने या बच्चे के गवाह का उपयोग अभियोजन के अन्य उद्देश्यों के लिए करने के किसी भी आरोप के अभाव में, अदालतों के पास ऐसे गवाह की आत्मविश्वास प्रेरित गवाही पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि आरोपी को दोषी ठहराया जा सके या नहीं।

इसके अलावा, यू. पी. राज्य बनाम कृष्णा मास्टर **(2010) 12** एस. सी. सी. **324** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि घटना के समय एक गवाह मदन लाल की आयु छह वर्ष थी और मुकदमे के दौरान, जब वह लगभग 16 वर्ष का था, उससे मुख्य रूप से पूछताछ की गई थी। उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही को इस आधार पर खारिज कर दिया कि छह साल का बच्चा इस तरह के अंतराल के बाद जब उसकी जांच की जाती है तो वह अपनी स्मृति में तथ्यों को दोहराने की स्थिति में नहीं होता। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को पलटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब एक छोटे उम्र का बच्चा अपनी माँ, पिता, भाइयों आदि की भयावह हत्या का गवाह बनता है, तो वह अपने पूरे जीवन में इस घटना को भूलने की संभावना नहीं रखता और निश्चित रूप से, जब भी उससे इस बारे में पूछा जाएगा, वह अपनी याददाश्त में तथ्यों को पुनः स्मरण करेगा, भले ही घटना और उसकी गवाही रिकॉर्ड करने के बीच लगभग 10 वर्षों का अंतर हो।

15. इस चरण में, यह भी लाभदायक है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय का उल्लेख किया जाए जो बालजीत सिंह एवं अन्य बनाम राज्य **2014** एससीसी ऑनलाइन देल **1797** मामले में दिया गया था, जहाँ न्यायालय ने डॉ. हंस ग्रॉस के काम पर भरोसा करते हुए यह अवलोकन किया कि छोटे उम्र के बच्चों की गवाही की क्षमताएँ और बच्चों की मासूमियत सभी प्रकार के प्रभाव, धमकियों, झूठे प्रतिनिधित्व और ऐसे बाहरी कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं जो बच्चों को एक विशेष तरीके से बोलने और सिखाई गई लाइनों पर बोलने के लिए प्रभावित करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि बच्चे अपनी मासूमियत के कारण विशेष रूप से उस सत्य का हिस्सा बोलेंगे जिसे उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से देखा है। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है।

"95. डॉ. हंस ग्रॉस ने आपराधिक जांच पर अपने आधिकारिक कार्य में बाल मनोविज्ञान और कम उम्र के बच्चों की प्रशंसात्मक क्षमताओं के विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की है।छोटे उम्र के बच्चे और उनकी मासूमियत सभी प्रकार के प्रभाव, धमकियों, झूठे प्रतिनिधित्व और ऐसे बाहरी कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील माने जाते हैं जो बच्चों को एक विशेष तरीके से बोलने और सिखाए गए मार्ग पर बोलने के लिए प्रभावित करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि बच्चे अपनी मासूमियत के कारण विशेष रूप से उस सत्य का हिस्सा बोलेंगे जिसे उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से देखा है।"

इस स्थिति को संक्षेप में ब्रेवर जे द्वारा व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, **159** युएस **523 (1895)** में बताया गया, जहाँ मृतक के पुत्र को गवाही देने की अनुमति देने के न्यायालय के कार्य पर आपत्ति उठाई गई। हत्या 12 जून, 1894 को हुई, और तब यह लड़का 5 जुलाई को पांच वर्ष का था। मामला 21 दिसंबर को सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया, जब वह लगभग पांच साल और छह महीने का था।लड़के ने अपने वॉयर डायर पर पूछे गए सवालों के जवाब में, अन्य बातों के अलावा, कहा कि वह सच और झूठ के बीच का अंतर जानता है; कि यदि उसने झूठ बोला, तो बुरा आदमी उसे पकड़ लेगा, और वह सच बताने जा रहा है। जब उससे आगे पूछा गया कि अगर उसने झूठ बोला तो न्यायालय में उनके साथ क्या करेंगे, तो उसने जवाब

दिया कि वे उसे जेल में डाल देंगे।उसने यह भी कहा कि उसकी माँ ने उसे उस सुबह कहा था कि "झूठ मत बोलो"। और जब उससे पूछा गया कि जब उसने अपना हाथ उठाया तो क्लर्क ने उससे क्या कहा, तो उसने जवाब दिया, "तुम कोई कहानी मत बताना।" अन्य सवाल उसके निवास, मृतक के साथ उसके संबंध, और क्या वह कभी स्कूल गया है, के बारे में पूछे गए, जिस पर उसने नकारात्मक उत्तर दिया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"चूंकि सभी गवाही रिकॉर्ड में संरक्षित नहीं है, इसलिए हमारे सामने फैसले को बरकरार रखने के लिए गवाही की पर्याप्तता के बारे में कोई जांच नहीं है, और इस गवाह की क्षमता के सवाल तक सीमित हैं।5. यह स्पष्ट है कि लड़का अपनी युवावस्था के कारण, कानून के अनुसार, गवाह के रूप में पूरी तरह से अयोग्य नहीं था। जबकि कोई भी दो या तीन साल के बच्चे को गवाह के रूप में बुलाने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन कोई निश्चित आयु नहीं है जो योग्यता के प्रश्न को निर्धारित करती है। यह बच्चे की क्षमता और बुद्धिमत्ता, सच और झूठ के बीच का अंतर समझने की उसकी क्षमता, और सच बताने की उसकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है।इस प्रश्न का निर्णय मुख्य रूप से परीक्षण न्यायाधीश के हाथ में होता है, जो प्रस्तावित गवाह को देखता है, उसकी आदतों, उसकी स्पष्ट बुद्धिमत्ता या इसके अभाव को नोट करता है, और किसी भी परीक्षा का सहारा ले सकता है जो उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता को प्रकट करने में सहायक हो, साथ ही शपथ के दायित्वों की उसकी समझ को भी। चूंकि इनमें से कई बातें रिकॉर्ड में नहीं लाई जा सकतीं, परीक्षण न्यायाधीश का निर्णय समीक्षा में तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि जो कुछ संरक्षित किया गया है, उससे यह स्पष्ट न हो कि यह गलत था।ये नियम कई निर्णयों द्वारा स्थापित किए गए हैं, और हाल की प्राधिकारियों में कोई असहमति प्रतीत नहीं होती। ब्रेज़ियर के मामले में, 1 लीच, क्राउन केस 199 में कहा गया है कि प्रश्न 12 न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और वे सभी इस राय में थे कि "एक बच्चा, भले ही वह सात वर्ष से कम उम्र का हो, एक आपराधिक अभियोजन में शपथ ले सकता है, बशर्ते कि ऐसा बच्चा न्यायालय द्वारा कड़ाई से परीक्षा के दौरान शपथ की प्रकृति और परिणामों का पर्याप्त ज्ञान रखता हो; क्योंकि बच्चों को गवाही देने से बाहर रखने के लिए कोई निश्चित या निश्चित नियम नहीं है, बल्कि उनकी स्वीकार्यता उस ज्ञान और तर्क पर निर्भर करती है जो वे झूठ के खतरे और पाप के बारे में रखते हैं, जिसे न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों से एकत्र किया जाना चाहिए।"

6. येसिद्धांत और प्राधिकार इस मामले में निर्णायक हैं। रिकॉर्ड में पाए गए बहुत विस्तृत परीक्षा के अनुसार, लड़का बुद्धिमान था, सच और झूठ के बीच का अंतर समझता था, और झूठ बोलने के परिणामों को भी जानता था, साथ ही उसने जो शपथ ली थी, उसमें क्या आवश्यक था। किसी भी स्थिति में, इसके विपरीत कुछ नहीं दिखाई देता। बेशक, परीक्षण न्यायाधीश को सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब मामला जीवन या मृत्यु का हो, जैसा कि इस मामले में है। दूसरी ओर, ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में बाहर करना जो सच और झूठ के बीच का अंतर समझने में सक्षम है, और जो केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं सिखाया गया प्रतीत होता है, कभी-कभी इसका परिणाम न्याय का सहायक बने रहने में होता है।

16. इस मामले में, पी.डब्लु. 9 उषानी पॉल, जो मृतक की बेटी है, ने गवाही दी कि घटना के समय वह लगभग 2.5 वर्ष की थी और उसने पुलिस को बयान दिया कि उसके पिता ने अपनी माँ पर लाठी से हमला किया और उसे जला दिया। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति 14 साल पहले जो उसने देखा था, उसे याद नहीं रख सकता। यह सच है कि बच्चे के सिखाए जाने की हर संभावना है, विशेषकर जब वह अपने दादा-दादी के साथ रहकर बड़ा हुआ हो। हालाँकि, यह भी एक तथ्य है कि उसका बयान घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और इस गवाह का **14** साल बाद कोर्ट में दिया गया बयान विपरीत नहीं था।

इसके अलावा, हालांकि ऐसे बच्चे के गवाह के बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस मामले में यह तथ्य है कि अन्य पी.डब्लू ने समर्थन किया है कि मृतक के शरीर पर हिंसा के निशान थे। यह पी.डब्लू 9 उषानी पॉल के बयान का समर्थन करता है। यह तथ्य शव परीक्षण रिपोर्ट और उन तस्वीरों से भी समर्थित है जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-B के तहत दी गई धारणा अपीलकर्ता के खिलाफ जाती है और वह इसे खंडित करने में असफल रहा। तदनुसार, आइपीसी की धारा 304-B के तहत सजा के संबंध में परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष इस प्रकार पुष्टि किया जाता है।

17. जहाँ तक सजा का संबंध है, परीक्षण न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत न्यूनतम सजा सुनाई है। इस प्रकार, विद्वत परीक्षण न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की जाती है।

18. नतीजतन, तत्काल अपील बिना किसी योग्यता के खारिज कर दी जाती है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के विवादित निर्णय की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसकी जमानत बांड इस प्रकार रद्द की जाती है और उसे निर्देश दिया जाता है कि वह तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे ताकि वह शेष जेल की सजा पूरी कर सके।

19. इस निर्णय की एक प्रति और विद्वत विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड संबंधित न्यायालय को तुरंत भेजा जाए।

माननीय न्यायधीश श्री दीपक रौशन

प्रमाणिक/ एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|